

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त
न्यायाधीश बैतूल(म.प्र.)

—:: दिनांक—29.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम
तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::—

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	अपीलार्थी के अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता
1.	आर.सी.ए. 106 / 16	अब्दुल अफसर वि. ओमप्रकाश वगै.	श्री जिब्राईल खान	श्री एच.एस. खण्डेलवाल
2.	आर.सी.ए. 96 / 17	रविन्द्र वि. गौरीलाल वगै.	श्री संजय सिंह	श्री भवानी दीवान
3.	आर.सी.ए. 72ए / 15	कृष्णा कुमार वि. चन्द्रकांत वगै.	श्री कपिल वर्मा	श्री अशोक वर्मा
4.	सी.आर.ए. 27 / 18	सुरेश वगै वि. हरिप्रसाद वगै.	श्री व्ही.के. बडोनिया	श्री योगेश राठौर

(ए.के.  दंदेलिया)

प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / 108/IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 28 मई, 2020

-:: सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक/क्यू/13 जबलपुर, दिनांक 17 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64 /दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक/73/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में **दिनांक 29-05-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल / आपराधिक
01.	RCA No. 400129/2016	गोपाल विरुद्ध सुधान्या व अन्य	सिविल अपील
02.	RCA No. 26/2017	बबलू व अन्य विरुद्ध मदनलाल व अन्य	सिविल अपील
03.	CRA No. 38/2016	म.प्र.राज्य विरुद्ध संतोष व अन्य	दाण्डिक अपील

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 108/IV-AJ to IASJ/20
प्रतिलिपि,

बैतूल, दिनांक 28 मई, 2020

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चक्षार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Om
28/5/2020

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 28/05/2020

सामान्य सूचना

विषय :- आज दिनांक 28.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयातर्गत समस्त अधिवक्तागण/पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 28.05.2020 को नियत समस्त आपराधिक प्रकरण निम्नांकित नियत दिनांक को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र	प्रकरण क्र.	सी आई एस नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	नियत दिनांक निर्मांक
1.	ST 267/12	200267 / 12	राज्य वि. संजय वगै.	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री नवीन बिहारिया	17.06.2020
2.	ST 125/19	64/19	राज्य वि. रूपकुमार वगै.	1. श्री अभय गर्ग 2. श्री गजानंद सूर्यवंशी	26.06.2020
3.	CRA 13/19	05/19	दीपक वगै वि. राज्य	1. श्री गजानंद सूर्यवंशी 2. श्री अभयसिंह ठाकुर	26.06.2020
4.	CRA 161/18	45/18	कैलाश वगै वि. राज्य	1. श्री आर.के. सूर्यवंशी 2. श्री अभयसिंह ठाकुर	26.06.2020
5.	CRA 59/18	14/18	तरुण वि. राज्य	1. श्री अनिल गीद 2. श्री अभयसिंह ठाकुर	26.06.2020

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

क्र. १..... / प्रअजिन्या / 2020

—:: परिपत्र ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्र. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 29.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल प्रकरण दिनांक 29.05.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	179/15	179/15	श्यामराव विरूद्ध आनंदराव वगै.	1.श्री एन.आर.मानकर 2.श्री बी० आर० काले	9406923555 9424431603	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 29.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण उसी दिनांक 29.05.2020 को सुनवाई में लिए जावेंगे।

(हरप्रसाद बंशकार)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

दिनांक 30.05.2020 को लिये गये सिविल अपील प्रकरणों की सूची

1	MCA/6/2017	dolat Vs santari bai	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters
2	RCA/44/2017	Kalu Vs Basanti Bai	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters
3	RCS HM/17/20	Amit Vs Kavita	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters
4	RCS HM/4/20	MATANLAL Vs KAVITA	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters
5	RCA/69/2017	Rajesh Vs Subhash	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters
6	RCA/51/2017	MAHESH Vs GHANASHY AM	30-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters


चिदम्बर सिंह सोलंकी
अध्यक्ष जिला न्यायाधीश, बी.स.देही
जिला बतुल (भ.प्र.)

दिनांक 29.05.2020 को लिये गये सिविल अपील प्रकरणों की सूची				
1	RCA/7/2020	vishvasrao Vs subi urph subhadra	29-05-2020	Final Hearing / Final Argument Matters


 विवेकानंद सोलंकी
 अपर जिला न्यायाधीश, धौलपुर
 जिला धौलपुर (म.प्र.)

न्यायालय:- मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

//परिपत्र//

क. / 6 / 2020

भैंसदेही, दिनांक 28 / 05 / 2020

विषय: लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 73 बैतूल दिनांक 18.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 29.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र०	प्रकरण क्रमांक	सी0आई0ए स० न०	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न०	रिमार्क
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(मंजूषा तेकाम)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भैंसदेही, जिला बैतूल

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतूल म0प्र0

क्रमांक/प्र.व्य.न्या./2020

मुलताई, दिनांक 28.05.2020

परिपत्र

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक व्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक व्यू 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्र. व्यू 6 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र क्र. व्यू 7 दिनांक 20.04.2020, परिपत्र क्र. व्यू 11 दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावशील किया गया है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक व्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क, निर्णय हेतु नियत प्रकरणों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

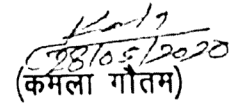
अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 28.05.2020 को नियत निर्मांकित आपराधिक प्रकरण रिकाल (Recall) किये जाकर दिनांक 28.05.2020 को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क प्रक. क्र.	सी. आई.एस. नंबर	पक्षकार का नाम	अधिवक्ता का मोबाइल नंबर रिकार्ड नाम
--------------	-----------------	----------------	-------------------------------------

निरंक

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पञ्चकारण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने अपने प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फेरिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फेरिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हों तो वे न्यायालय परिसर में स्थिति विडियो कॉन्फेरिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आगे पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शारांग प्रशारांग के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

आज दिनांक 28.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण दिनांक 26.06.2020 को उरी प्रकृम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।


(कर्मला गौतम)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 मुलताई, जिला बैतूल